प्रेषक,

जिलाधिकारी,
मथुरा।

सेवा में,

स्थाई अधिवक्ता,
मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
नई दिल्ली ।

संख्या 1329/R-184/ आर0ओ0 / पी0सी0वी / 2020 दिनांक 05 मार्च ,2020

विषयः— मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल प्रार्थना पत्र सं0 1040 / 2019 आकाश वशिष्ठ बनाम भारत संघ आदि में पारित आदेश दिनांक 20.12.2019 के अनुपालन में आख्या का प्रेषण।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में तथ्यात्मक आख्या क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा, अधिशासी अभियन्ता, अपर आगरा कैनाल, मथुरा तथा अधोहस्ताक्षरी के प्रतिनिधि सम्बन्धित उप जिलाधिकारी, सदर, मथुरा की समिति गठित कर प्राप्त की गई एवं इस सम्बन्ध में किये गये कार्य कि आख्या उपाध्यक्ष, मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा से प्राप्त की गई।

क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा अधिशासी अभियन्ता, अपर आगरा कैनाल, मथुरा तथा अधोहस्ताक्षरी के प्रतिनिधि सम्बन्धित उप जिलाधिकारी, सदर, मथुरा कि आख्या दिनांक 03.02.2020 तथा उपाध्यक्ष, मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा की आख्या दिनांक 1702.2020 जो कि पत्र संख्या 2410 दिनांक 28.02. 2020 के माध्यम से प्रस्तुत की गई है जो कि पत्र के साथ संलग्न कर आपको सादर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नः—यथोक्त।

भवदीय

(सर्वज्ञ राम मिश्र)
जिलाधिकारी,
मथुरा।

प्राप्त
30/12/19

मा0एन0जी0टी0 प्रकरण/समयवद्ध

कार्यालय जिलाधिकारी मथुरा।

संख्या 634/सोलह–बी/टी0ए0सी0–एन0जी0टी0/2019–20 दिनांक 27 दिसम्बर, 2019

कार्यालय ज्ञाप

मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण,नई दिल्ली में योजित मूल प्रार्थना पत्र सं0 1040/2019 आकाश वशिष्ठ बनाम यूनियन आफ व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.12.2019 के अनुपालन में वृन्दावन में यमुना के किनारे श्रृंगारवट व केसी घाट व अन्य स्थानों पर अवैध रूप से हुए निर्माण कार्यो के स्थलीय निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु संयुक्त रूप से निम्नवत समिति का गठन किया जाता है :–

1– उपजिलाधिकारी सदर
2– क्षेत्रीय अधिकारी,प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी
3– अधिशासी अभियंता,अपर आगरा कैनाल मथुरा
4– उपाध्यक्ष, मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण द्वारा नामित अधिकारी

उपरोक्त गठित समिति से अपेक्षा है कि मा0एन0जी0टी0के आदेश के अनुपालन में मौके का स्थलीय निरीक्षण करते हुए 15 दिन में आख्या अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करेंगी। मा0एन0जी0टी0 द्वारा प्रकरण में प्रदूषण विभाग को नोडल के रूप में नामित किया गया है, जो कि मा0 एन0जी0टी0 में ससमय तदनुसार जबाव दाखिल करवाना सुनिश्चित करेंगे।

(सर्वज्ञ राम मिश्र)
जिलाधिकारी
मथुरा।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आ0का0 हेतु ।
1– उपाध्यक्ष,म0वृ0वि0प्राधिकरण मथुरा।
2– उपजिलाधिकारी सदर मथुरा को अनुपालनार्थ।
3– क्षेत्रीय अधिकारी,प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मथुरा को अनुपालनार्थ।
4– अधिशासी अभियंता,अपर आगरा कैनाल मथुरा/सहायक अभियंता,म0वृ0वि0प्राधिकरण। को अनुपालनार्थ।

जिलाधिकारी
मथुरा।

कार्यालयः मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण,मथुरा।

32, सिविल लाइन्स,मथुरा।

पत्रांक : 2410 /म0वृ0वि0प्रा0/2019–20 दिनांक : 28 फरवरी, 2020

2374

प्रेषक,

उपाध्यक्ष,
मथुरा–वृन्दान विकास प्राधिकरण,
मथुरा।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
मथुरा

D.M./COLLECTOR
MATHURA
29/02/20

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल प्रार्थना पत्र ओ.ए. सं0–1040/2019 आकाश वशिष्ठ बनाम् यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.12.2019 के अनुपालन में गठित कमेटी की रिपोर्ट उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कमेटी गठन से सम्बन्धित आपके कार्यालय पत्रांक 714/सोलह–बी/पी.ए.सी.–एन.जी.टी./ 2019–20 दि0 01 फरवरी 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। आपके द्वारा गठित कमेटी के सदस्य क्रमशः उपजिलाधिकारी सदर, क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण विभाग एवं अधोहस्ताक्षारी द्वारा नामित सहायक अभियन्ता द्वारा दि0 17.02.2020 को स्थल निरीक्षण किया गया। स्थल की स्थिति निम्न प्रकार हैः–

1. वृन्दावन परिक्रमा मार्ग पर स्थित श्रृंगारवट व चीरघाट पर यमुना नदी व परिक्रमा मार्ग के मध्य बाढ़/डूब/खादर की भूमि जो सिंचाई विभाग के नियंत्रण में है। इस भूमि पर प्राधिकरण द्वारा किसी भी निर्माण की अनुमति प्रदान नही की गई है, और न ही की जाती है। यमुना नदी में मल्लाहों द्वारा यात्रियो को नाव द्वारा नौका भ्रमण कराया जाता है। उनके द्वारा ही सडक के किनारे अस्थायी झुग्गियाँ डाली गई हैं। यही स्थिति चीरघाट पर है। यमुना नदी के किनारे वृन्दावन परिक्रमा मार्ग के अवरूद्व भाग पर केशीघाट के समीप अर्द्ध चन्द्रा कार पुल का निर्माण लोक निर्माण विभाग, द्वारा पूर्व में प्रारम्भ किया गया था, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेशानुपालन में हटाया गया था। निर्माण एजेन्सी द्वारा आर्बिटेशन वाद दायर किया गया है, तथा उक्त स्टोर उसी कार्यदांयी फर्म द्वारा निर्मित किया गया था। जिसे हटाने हेतु सम्बन्धित विभाग को निर्देशित कर दिया गया है।
2. वृन्दावन परिक्रमा मार्ग पर श्रृंगारवट एवं चीरघाट के मध्य गिर्राज मंदिर के नाम से एक अवैध निर्माण पूर्व में किया गया है, जिसके विरूद्व उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं में वाद सं0– 80/2016–17 योजित है।
3. वृन्दावन परिक्रमा मार्ग पर केशीघाट के समीप नदी के किनारे जहांगीरपुर खादर तहसील मॉट में कुछ अस्थायी झुग्गियॉ हैं।

उपरोक्तानुसार झुग्गियॉ पूर्णतया अस्थायी प्रकृति की है, जिन्हें प्रशासन के सहयोग से अभियान चलाकर समय–समय पर हटाया जाता रहा है। पुनः शीघ्र अभियान चलाकर हटाया जायेगा। उपरोक्त स्थल के फोटोग्राफ दांयी ओर सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न हैं।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(नगेन्द्र प्रताप)
उपाध्यक्ष

29/2/2020 प्रतिलिपिः– क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी, मथुरा को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उपाध्यक्ष

Letter 366

स्थलीय जाँच आख्या

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल प्रार्थना पत्र ओ.ए. सं0– 1040/2019 आकाश वशिष्ठ बनाम् यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.12.2019 के अनुपालन में गठित कमेटी की रिपोर्ट उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक कमेटी गठन से सम्बन्धित जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय पत्रांक 714/सोलह –बी/पी.ए.सी.–एन.जी.टी./2019–20 दि0 01, फरवरी 2020 के अनुपालन में कमेटी के निम्न सदस्यों द्वारा आज दि0 17.02.2020 को मूल आवेदन में सन्दर्भित स्थलों का निरीक्षण किया गया है, जो निम्न प्रकार है:–

1. वृन्दावन परिक्रमा मार्ग पर स्थित श्रृंगारवट व चीरघाट पर यमुना नदी व परिक्रमा मार्ग के मध्य बाढ़/डूब/खादर की भूमि जो सिंचाई विभाग के नियंत्रण में है। इस भूमि पर प्राधिकरण द्वारा किसी भी निर्माण की अनुमति प्रदान नही की गई है, और न ही की जाती है। यमुना नदी में मल्लाहों द्वारा यात्रियो को नाव द्वारा नौका भ्रमण कराया जाता है। उनके द्वारा ही सडक के किनारे अस्थायी झुग्गियाँ डाली गई हैं। यही स्थिति चीरघाट पर है। यमुना नदी के किनारे वृन्दावन परिक्रमा मार्ग के अवरूद्व भाग पर केशीघाट के समीप अर्द्ध चन्द्रा कार पुल का निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा पूर्व में प्रारम्भ किया गया था, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेशानुपालन में हटाया गया था। निर्माण एजेन्सी द्वारा आर्बिटेशन वाद दायर किया गया है, तथा उक्त स्टोर उसी कार्यदांयी फर्म द्वारा निर्मित किया गया था। जिसे हटाने हेतु सम्बन्धित विभाग को निर्देशित कर दिया गया है।
2. वृन्दावन परिक्रमा मार्ग पर श्रृंगारवट एवं चीरघाट के मध्य गिर्राज मंदिर के नाम से एक अवैध निर्माण पूर्व में किया गया है, जिसके विरूद्व उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं में वाद सं0– 80/2016–17 योजित है।
3. वृन्दावन परिक्रमा मार्ग पर केशीघाट के समीप नदी के किनारे जहांगीरपुर खादर तहसील मॉट में कुछ अस्थायी झुग्गियॉ हैं।

उपरोक्तानुसार झुग्गियॉ पूर्णतया अस्थायी प्रकृति की है, जिन्हें प्रशासन के सहयोग से अभियान चलाकर समय–समय पर हटाया जाता रहा है। पुनः शीघ्र अभियान चलाकर हटाया जायेगा। उपरोक्त स्थल के फोटोग्राफ दांयी ओर सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न हैं।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

अवर अभियन्ता म.वृ.वि.प्रा., मथुरा	सहायक अभियन्ता म.वृ.वि.प्रा., मथुरा	क्षेत्रीय अधिकारी उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण विभाग, मथुरा।	उपजिलाधिकारी सदर मथुरा।

कार्यालयः उपजिलाधिकारी सदर ,मथुरा।

पत्रांक : 1458 /2019-20 दिनांक : 25 फरवरी, 2020

प्रेषक,

उप जिलाधिकारी,
सदर, मथुरा।

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड प्रथम,
लोक निर्माण विभाग,
मथुरा।

विषयः– वृन्दावन परिक्रमा मार्ग पर विश्राम घाट/चीरघाट के समीप मार्ग के किनारे निर्मित स्टोर को हटाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

वृन्दावन परिक्रमा मार्ग पर विश्राम घाट/चीरघाट से केशीघाट तक अर्द्ध चन्द्राकार रूप में पूर्व में बनाये जा रहे पुल को मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में तोड़ दिया गया है। कार्य स्थल के समीप निर्माण एजेन्सी द्वारा बनाया गया स्टोर वर्तमान में बना हुआ है। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित मूल प्रार्थना पत्र ओ.ए. सं0– 1040/2019 आकाश वशिष्ठ बनाम् यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दि0 20.12.2019 के अनुपालन में निर्मित नदी के किनारे अतिक्रमणों के सम्बन्ध में माह मार्च 2020 में मा0 न्यायालय में निर्धारित तिथि पर विवरण प्रस्तुत किया जाना है। आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त अस्थायी निर्माण एक सप्ताह के अन्दर हटाने का कष्ट करें, जिससे कि मा0 न्यायालय के समक्ष रिक्त स्थल दर्शाया जा सकें।

उप जिलाधिकारी
सदर, मथुरा।
O/C

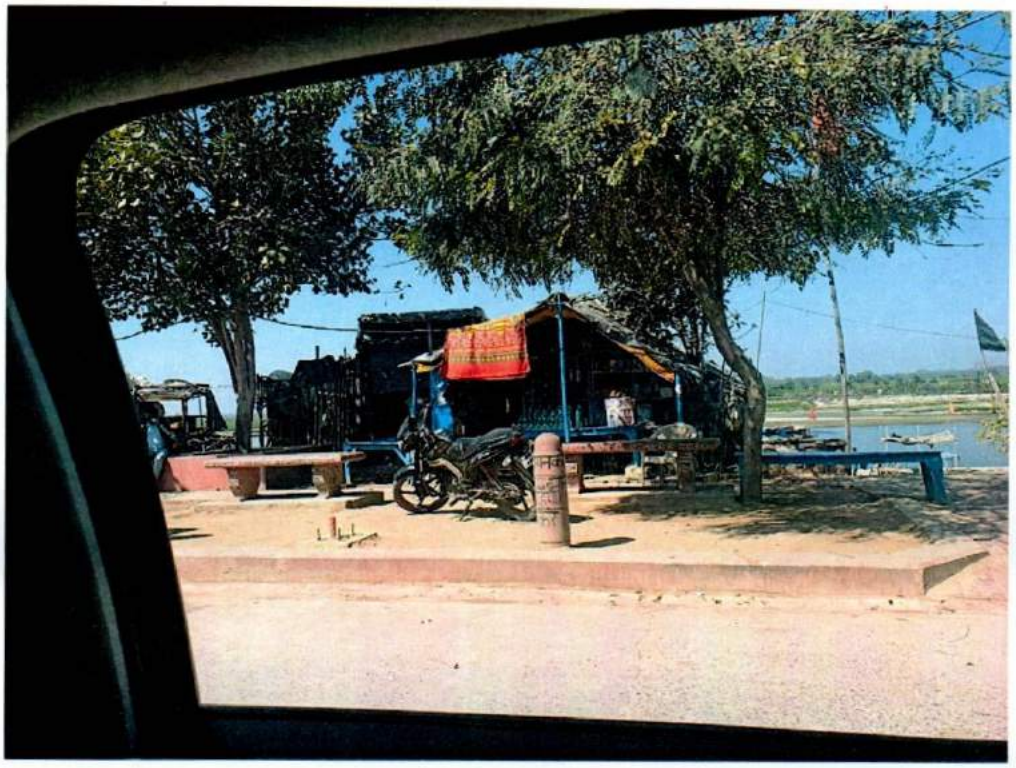

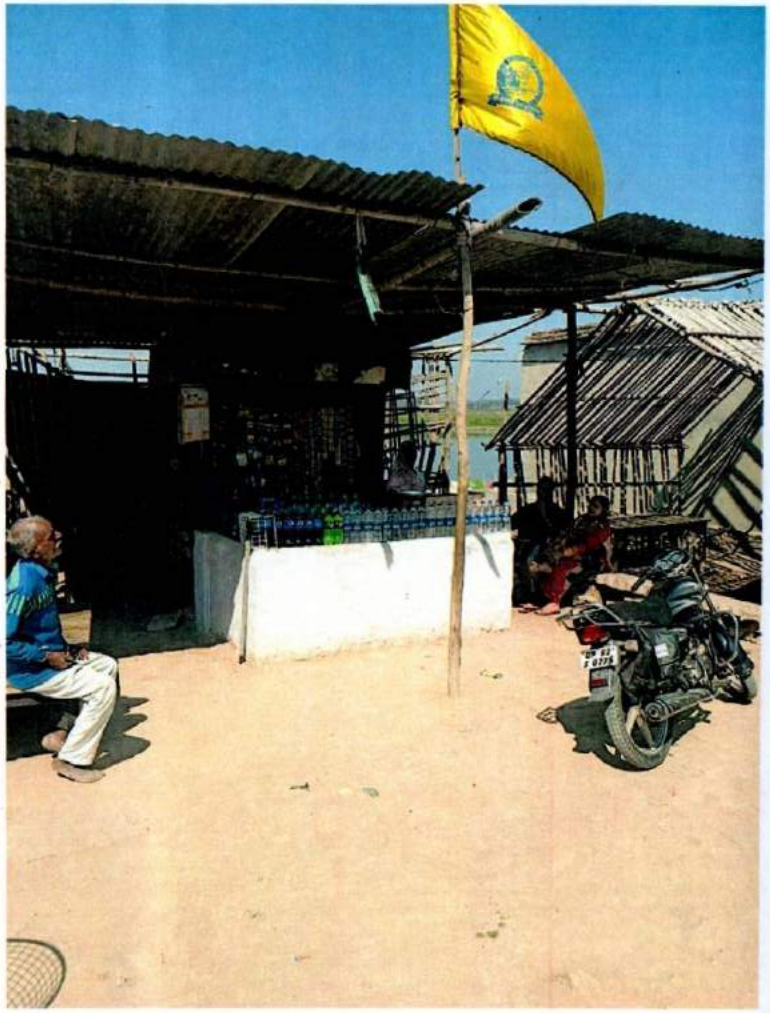

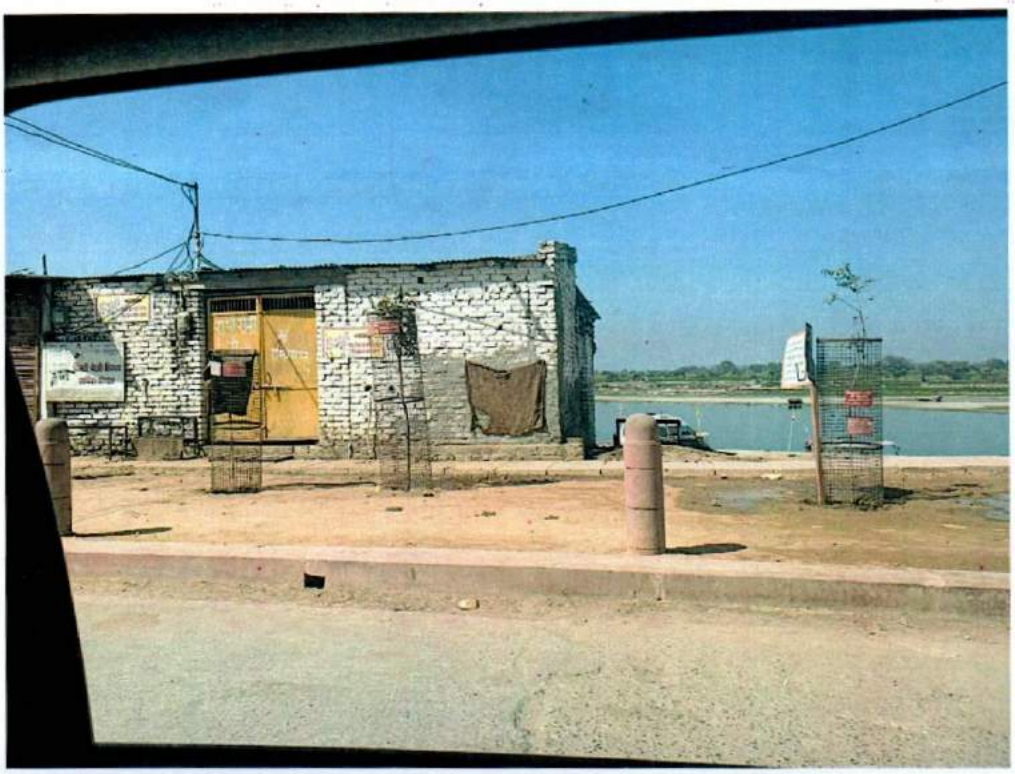

ब्रह्मज्ञानी बनें
तत्वज्ञानी बनें

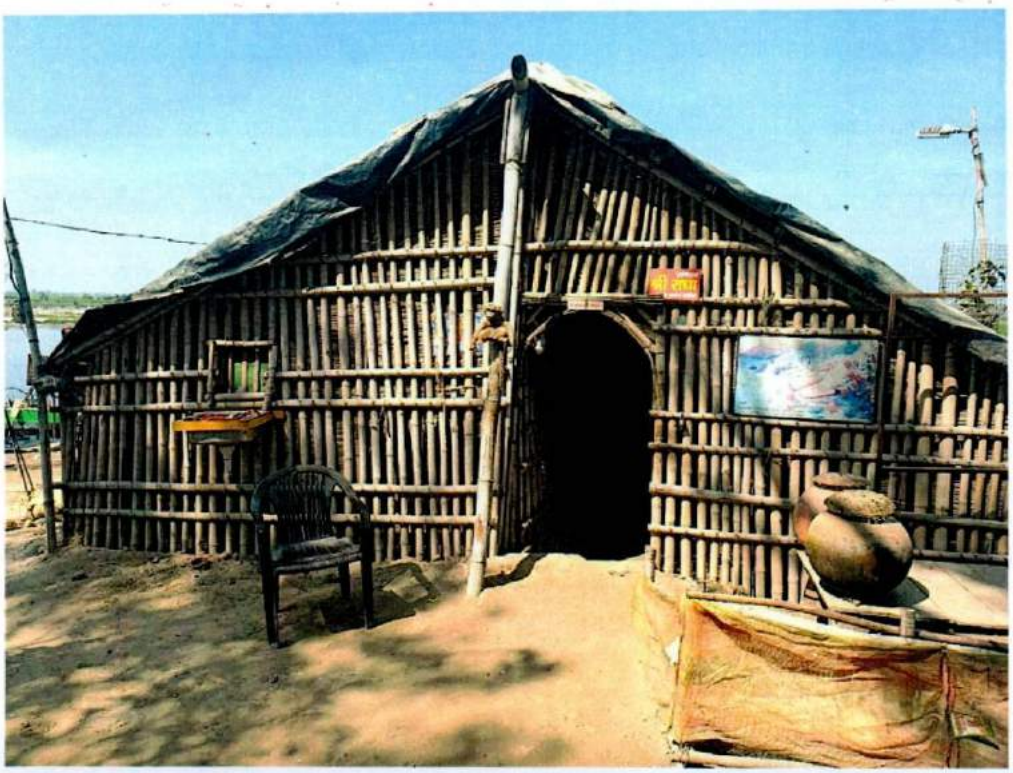

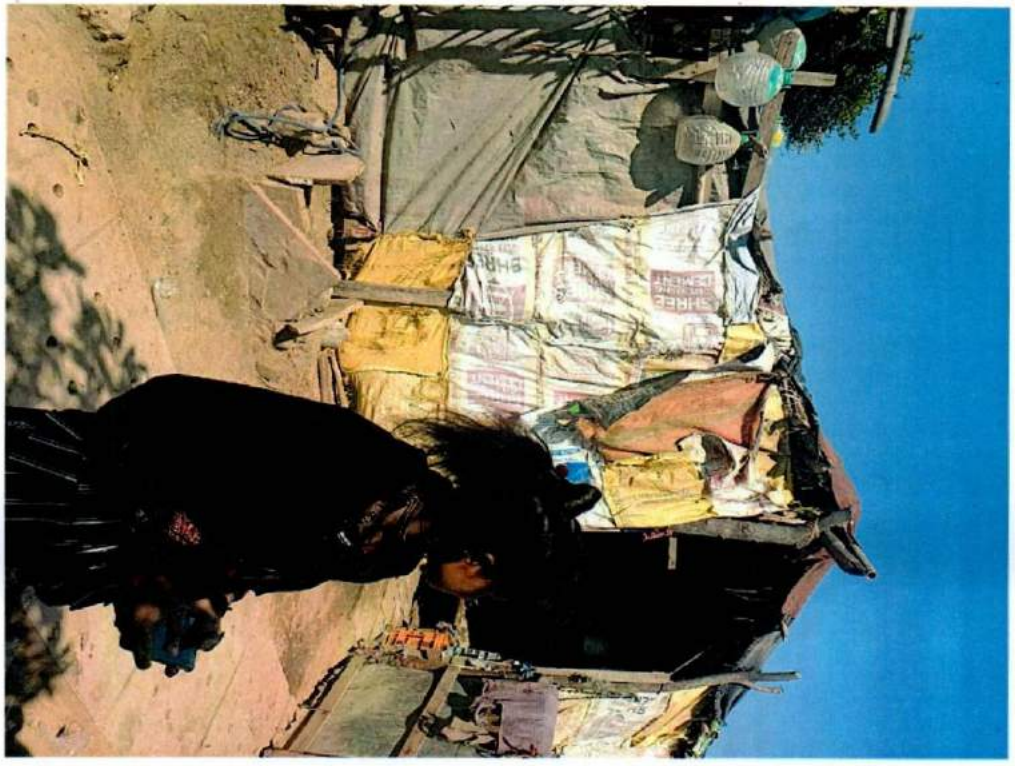

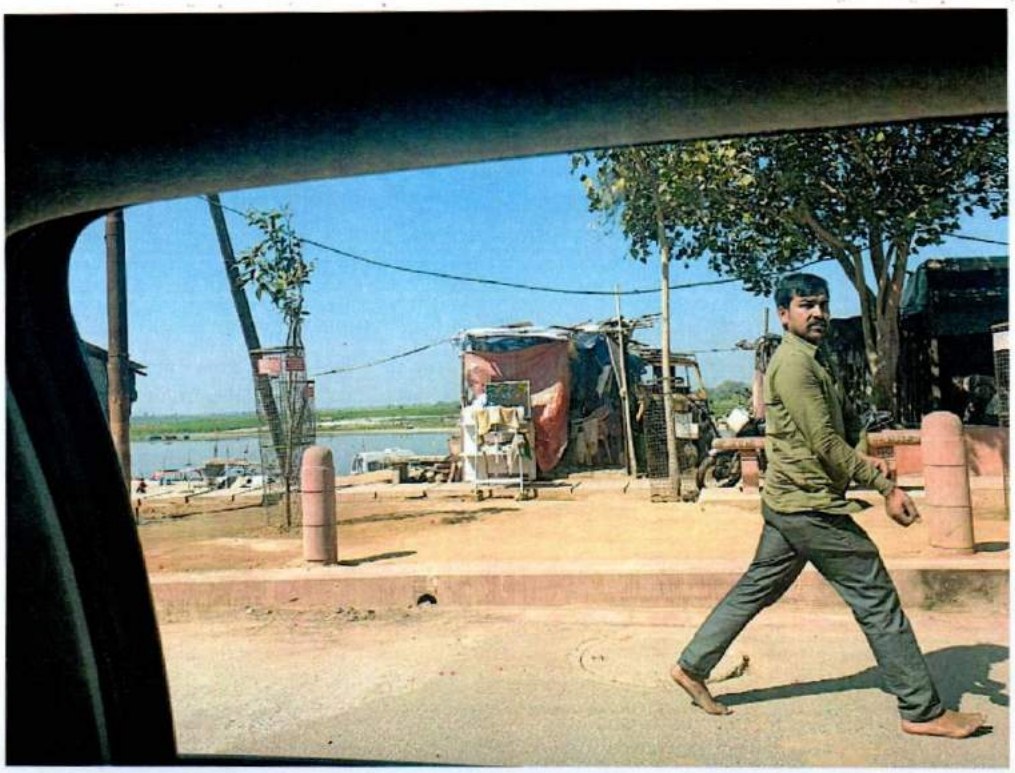

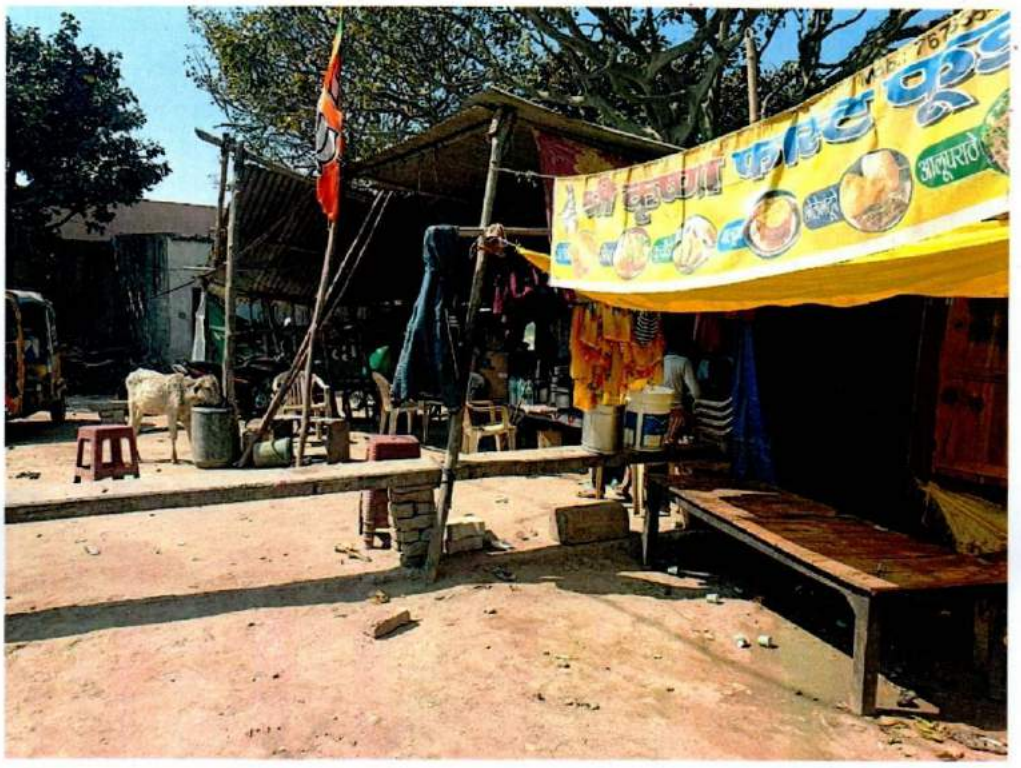

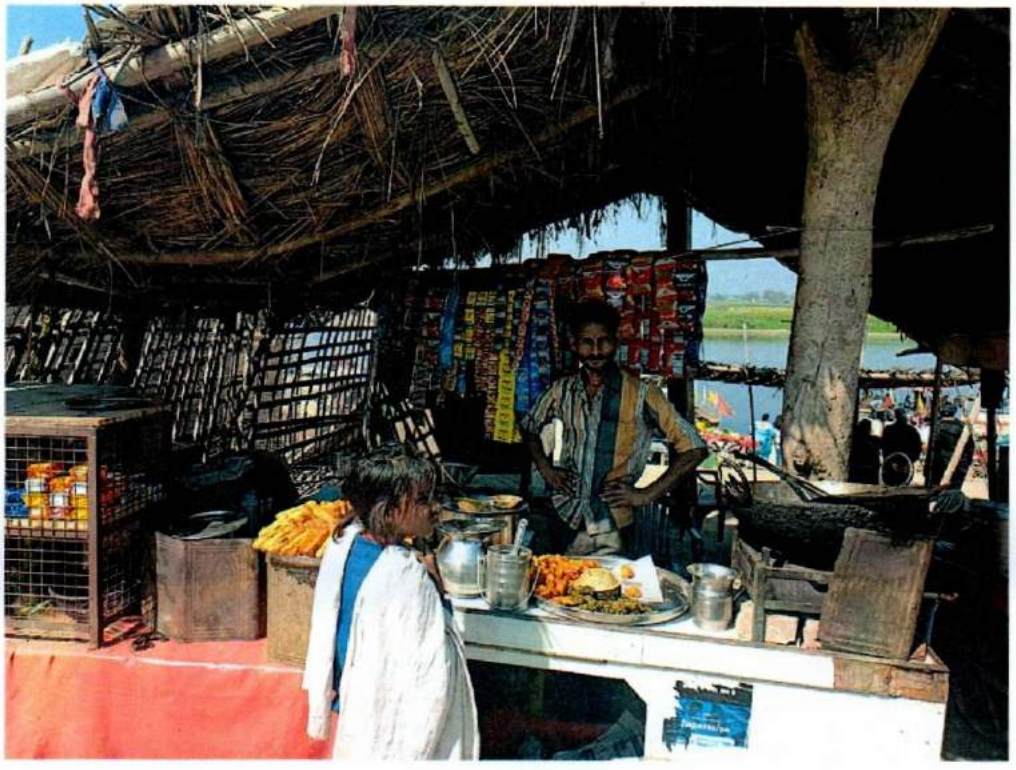

श्री बाँके बिहारी गोला चुस्की भंडार

संख्या-1721(1)/23-लो0नि0-1/2019-1/23(91)/2019 (7)

Ex. En. P.W.D (P.D.)

जिलाधिकारी
मथुरा
24 SEP 2019

प्रेषक,

नागेन्द्र कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-11

लखनऊ : दिनांक 18 सितम्बर, 2019

विषयः- जनपद मथुरा में वृन्दावन परिक्रमा मार्ग से चीरघाट तक (लम्बाई 0.30 कि0मी0) मार्ग के नव निर्माण कार्य (शहरी भाग) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रांक-1743अ0/104-01नि0/2019-20, दिनांक 26-08-2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद मथुरा में वृन्दावन परिक्रमा मार्ग से चीरघाट तक (लम्बाई 0.30 कि0मी0) मार्ग के नव निर्माण कार्य (शहरी भाग) की आंकलित लागत रू0 50.54 लाख (रूपये पचास लाख चौव्वन हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रदान करते हुये लागत के सापेक्ष रू0 50.54 लाख (रूपये पचास लाख चौव्वन हजार मात्र) व्यय हेतु निम्नलिखित विवरणानुसार तथा शर्तों/प्रतिबन्धों सहित अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रूपये लाख में)

क्र0 सं0	जनपद	कार्य का विवरण	स्वीकृत लागत	अनुदान सं0-58 का अंश	अनुदान सं0-83 का अंश	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	मथुरा नि0खं0-1	जनपद मथुरा में वृन्दावन परिक्रमा मार्ग से चीरघाट तक (लम्बाई 0.30 कि0मी0) मार्ग के नव निर्माण का कार्य (शहरी भाग)।	54.50	42.94	11.56	54.50

(1) उपरोक्त तालिका में अंकित निर्माण कार्य का कार्य तब तक प्रारम्भ न किया जाय और न ही उस पर कोई व्ययभार लिया जाय जब तक कि स्वीकृत लागत के अन्दर कार्य का विस्तृत आगणन गठित कर उस पर सक्षम अधिकारी द्वारा प्राविधिक स्वीकृति न प्रदान कर दी जाय।

(2) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट [illegible] से सत्यापित की जा सकती है।

Scanned by CamScanner

(3) कार्य की विशिष्टियों, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी सम्बन्धित मुख्य अभि... प्रायोजना का निर्माण कार्य संतोषजनक पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित ब्रैक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत स्वीकृति कार्य जिस कार्य/मद के लिये कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(6) यह सुनिश्चित किया जाय कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(7) अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष जमा की जायेगी। निर्माण कार्य की अवशेष लागत पर अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75 दिनांक 25-01-2011 के साथ पठित शासनादेश सं0-ए-2-1606/दस-2014-17(4)/75 दिनांक 11 नवम्बर 2014 द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी तथा उक्त शासनादेश दिनांक 25-01-2011 के संलग्नक में प्रदर्शित सम्बन्धित विभाग के प्रति लेखाशीर्षक में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट किया जायेगा।

(8) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

(9) मूल्य ह्रास निधि चार्जेज की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में नियमानुसार जमा करायी जायेगी।

(10) विभाग द्वारा आगणन में सम्मिलित जी0एस0टी0 की धनराशि वास्तविक रूप से जितनी देय होगी उतनी ही भुगतान की जायेगी, प्रस्तावित आगणन उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

(11) विभाग द्वारा विभागीय प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन समिति द्वारा लगायी गयी शर्तों का पूर्णता अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्ताव/आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए लागत का आंकलन किया गया है जिसमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढाना सड़क की लम्बाई और चौड़ाई में परिवर्तन क्रास्ट डिजाइन में परिवर्तन एवं अन्य उच्च विशिष्टियों इस्तेमाल करना इत्यादि सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यों की लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है, तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर विभाग द्वारा 03 माह के अन्दर समिति का पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नही किया जायेगा।

(13) विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करने का उत्तरदायित्व विभाग/कार्यदायी संस्था का होगा।

(14) प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में प्रस्तावित है।

2- प्रश्नगत कार्य पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान सं0-58 के लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य-1328-प्रमुख/अन्य जिला मार्गों के उच्चीकरण के नये कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहत निर्माण कार्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

Scanned by CamScanner

एवं अनुदान सं0-83 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-03-
राज्य राजमार्ग-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-05-राज्य प्रमुख/अन्य जिला
मार्गों के नये कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था-24 वृहत निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि
के सापेक्ष वहन किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी0-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22.03.2019 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(अभय कुमार)
उप सचिव।

संख्या- (1)/23-11-2019-1/2(100)/2019-तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
4- मण्डलायुक्त, आगरा मण्डल/जिलाधिकारी, मथुरा।
5- निदेशक, स्थानीय निधि लेख परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
6- मुख्य अभियन्ता (मु0-1) लोक निर्माण विभाग लखनऊ।
7- मुख्य अभियन्ता (आगरा क्षेत्र) लोक निर्माण विभाग, आगरा।
8- वित्त व्यय (नियंत्रण) अनु0-8/वित्त आय-व्ययक अनु0-1,उ0प्र0 शासन।
9- राज्य योजना आयोग-1/2, उ0प्र0 शासन।
10- अधीक्षण अभियन्ता नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
11- लोक निर्माण अनुभाग-1/9/10/12 एवं 14, उ0प्र0 शासन।
12- डाटा सेल, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अभय कुमार)
उप सचिव।

Scanned by CamScanner

सेवा में

श्रीमान जिला अधिकारी महोदय
मथुरा

निवेदन यह कि श्रृंगार वट से भवराघाट तक जो मार्ग बन रहा है। जिस पर कच्ची गिट्टी का कार्य हो चुका है। जिस पर से हजारो श्रद्धालू प्रतिदिन परिक्रमा करते है। हो सके इसको पूर्ण कराया जाये जिससे श्रद्धालुओ के आवागमन मे गिट्टी पैरो मे न चुबे तथा श्रद्धालुओ को परिक्रमा करने मे किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो

आप की महान कृपा होगी

भवदीय
समस्त निवासी परिक्रमा मार्ग

क्र0	नाम	पिता का नाम	निवास	
	जमुना			
	भगतसिंह	सरमन	9760808352	जमुना
	राधा वल्लभ	स्व. नत्थी		
	अभिलाष शर्मा	सीताराम	दाऊ जी	राधा वल्लभ
	अखिल शर्मा	अवधेश शर्मा	8439987537	Akhilsharma
	Prem Mishra	लाला पंडित		
		Krishna Mishra	9897023892	AKMish
	सुधीर तिवारी		8077279312	
		सुरेश		
	जितेन्द्र कुमार	नन्दलाल	7505793910	
	रामसेवक	रामाधार	7037930655	जितेन्द्र
	कमलसिंह ठाकुर	श्री करनपाल	8445168343	रामसेवक
			9758710566	कमलसिंह
	शीतल	प्रमोद		
	प्रमोद	रामचन्द्र	7898971668	प्रमोद
	जयप्रकाश	गोगा ला	8445217693	
	श्रीयसैन	सुमेरचन्द	8126862695	जयप्रकाश
	राजेन्द्र शर्मा	पुरुषोत्तम शर्मा	8445718226	श्रीयसैन
				राजेन्द्र

ललित मोहिनी शरण
शुभम
लाड़ली शरण
किशोर कुंज
गोपाल गोमत
Lalit Kumar
पूरन दास
शिवीदास
भोला
किशोर
विष्णु
Sachinandan Das
श्यामवल्लभ
बप्पू
गोपाल
कुंज मोहन
नन्द किशोर
रामू
कुंडो
सोहन
गप्पो
भगवान
[illegible]

अनुराग वल्लभ शरण
Sourav
Kishor Sharan
Ladali Lal Sharan
Naresh Kumar
[illegible]
मीनू निषाद
प्रीतम निषाद
सोनपाल निषाद
कन्हैया निषाद
घनश्याम निषाद
शम्भु निषाद
भगवानसिंह निषाद
[illegible]
श्याम
मुकेश
विजय
नारायण
कृष्णा गोपाल
राधा कलश

कार्य का नाम :– वृन्दावन परिक्रमा मार्ग में श्रंगारवट से भवराघाट तक से सम्बन्धित फोटोग्राफ।

कार्य का नाम :– वृन्दावन परिक्रमा मार्ग में श्रंगारवट से भवराघाट तक से सम्बन्धित फोटोग्राफ।

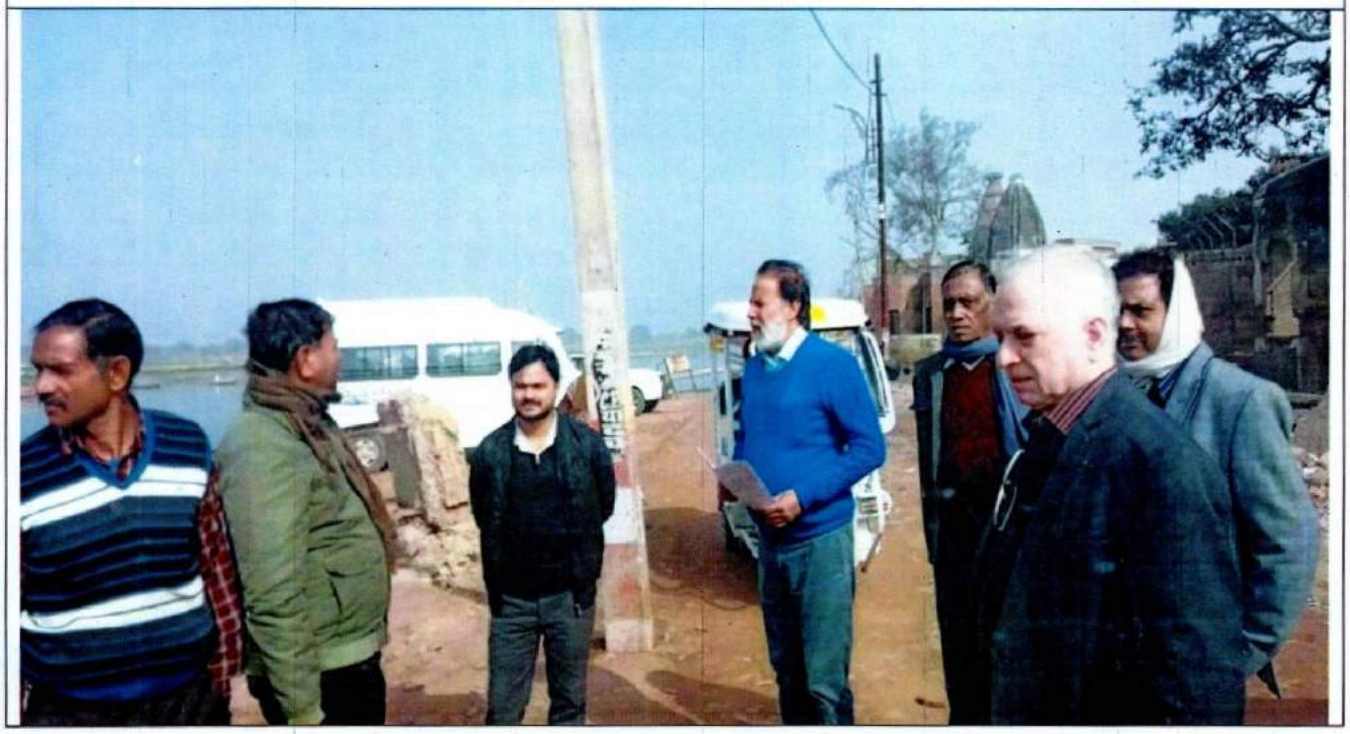

कार्य का नाम :– वृन्दावन परिक्रमा मार्ग में श्रंगारवट से भवराघाट तक से सम्बन्धित फोटोग्राफ।

कार्य का नाम :– वृन्दावन परिक्रमा मार्ग में श्रंगारवट से भवराघाट तक से सम्बन्धित फोटोग्राफ।

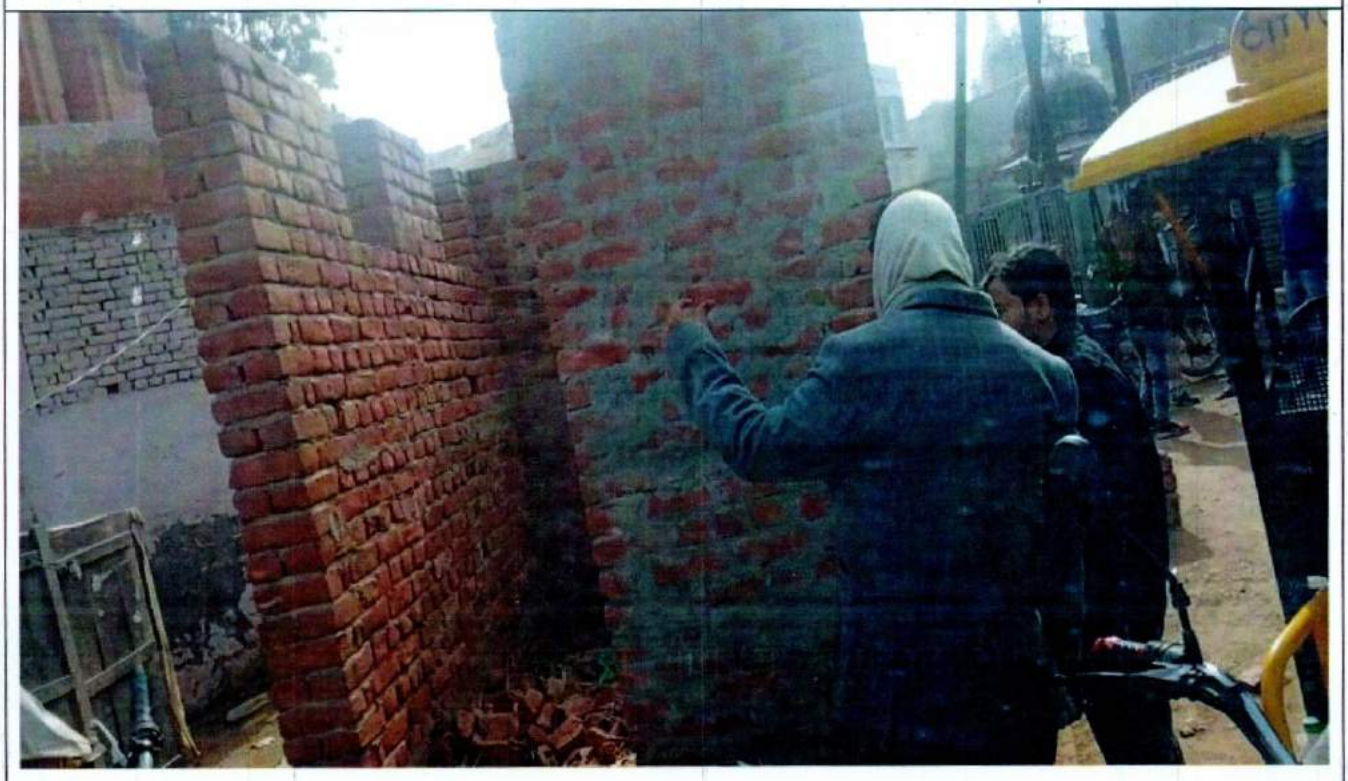

संयुक्त जाँच आख्या दिनांक 01.02.2020

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल प्रार्थना पत्र सं0–1040/2019 आकाश वशिष्ठ बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.12.2019 के क्रम में जिलाधिकारी महोदय, मथुरा का पत्रांक 172/ओ0एस0डी0/2019 दिनांक 25.12.2019 द्वारा गठित टीम द्वारा दिनांक 01.02.2020 को निरीक्षण किया गया।

जाँच टीम में, श्री अरविन्द कुमार, श्रेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, मथुरा, श्री बच्चन सिंह, अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग अपर आगरा नहर, मथुरा तथा श्री कान्ति शेखर सिंह, उपजिलाधिकारी, सदर, मथुरा उपस्थित थे।

जाँच आख्या निम्नवत् है :–

जनपद मथुरा में वृन्दावन परिक्रमा मार्ग की कुल लम्बाई लगभग 10.500 कि0मी0 है। उक्त भाग पूर्व में निर्मित है। परिक्रमा मार्ग से चीरघाट (भवरा घाट) तक लम्बाई 0.300 कि0मी0 का भाग, जो पूर्व में कच्चा व उबड़–खाबड़ था, का निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा शासनादेश सं0–171(1)/23–11–2019–1/2 (100)/2019 दिनांक 18.09.2019 के अन्तर्गत परिक्रमार्थियों/श्रद्धालुओं द्वारा जनहित में किया गया है। मार्ग पर सी0सी0 मार्ग निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। उल्लेखनीय है कि उक्त परिक्रमा मार्ग पर हजारों की संख्या में प्रतिदिन परिक्रमा लगाते हैं। मार्ग निर्माण से पर्यावरण पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

निरीक्षण आख्या एवं उपरोक्त प्रकरण से समस्त प्रपत्र अवलोकनार्थ आपको सादर प्रस्तुत।

03/02/2020

अधिशासी अभियन्ता
अपर आगरा नहर
मथुरा

03/02/20

उपजिलाधिकारी
सदर, मथुरा

क्षेत्रीय अधिकारी
उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,
मथुरा

कार्य का नाम :– वृन्दावन परिक्रमा मार्ग में श्रंगारवट से भवराघाट तक से सम्बन्धित फोटोग्राफ।

कार्य का नाम :— वृन्दावन परिक्रमा मार्ग में श्रंगारवट से भवराघाट तक से सम्बन्धित फोटोग्राफ।

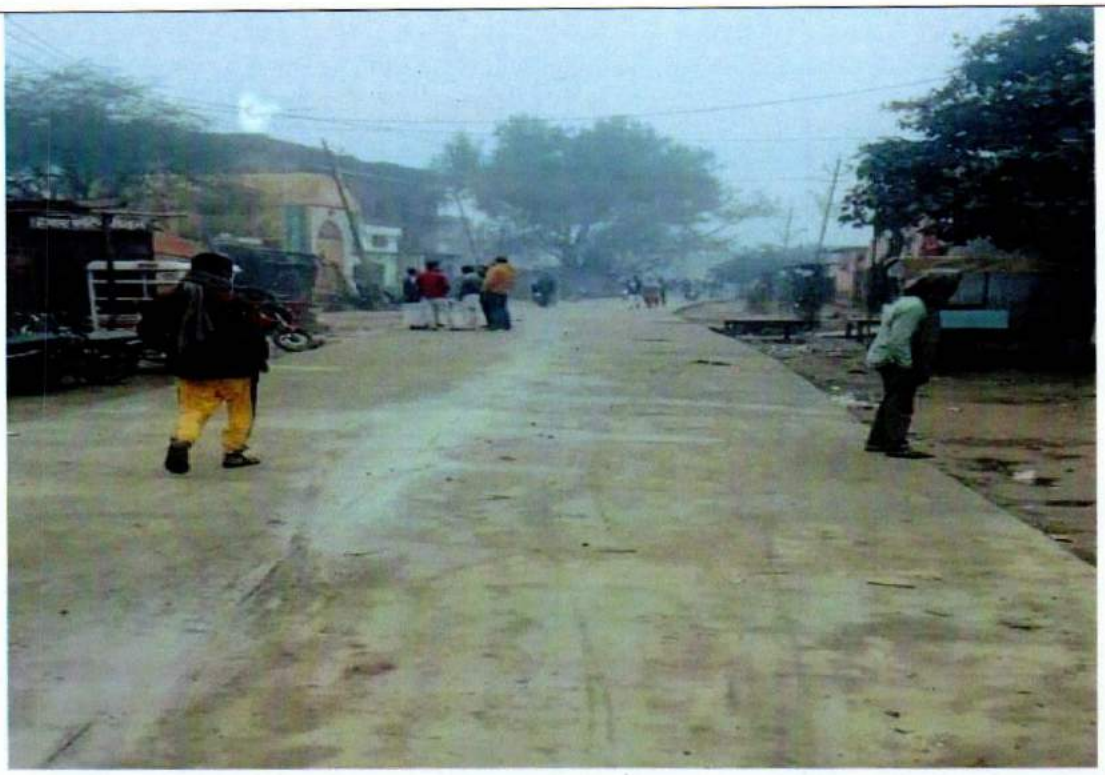

कार्य का नाम :– वृन्दावन परिक्रमा मार्ग में श्रंगारवट से भवराघाट तक से सम्बन्धित फोटोग्राफ।

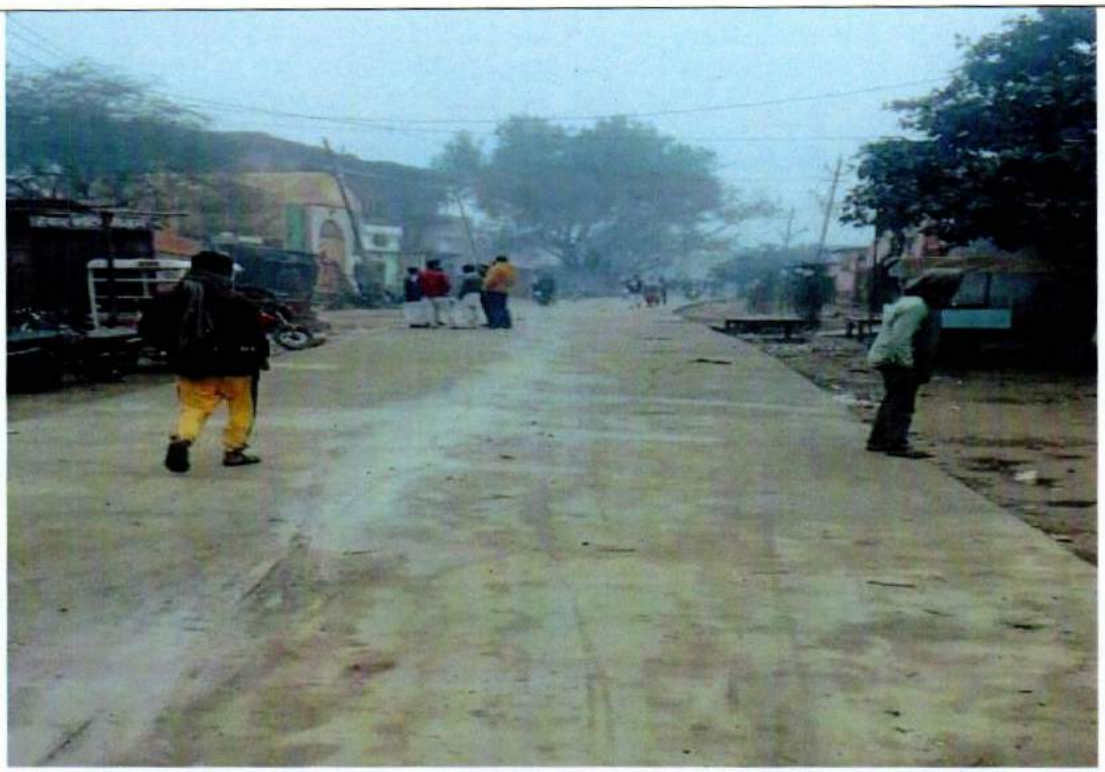

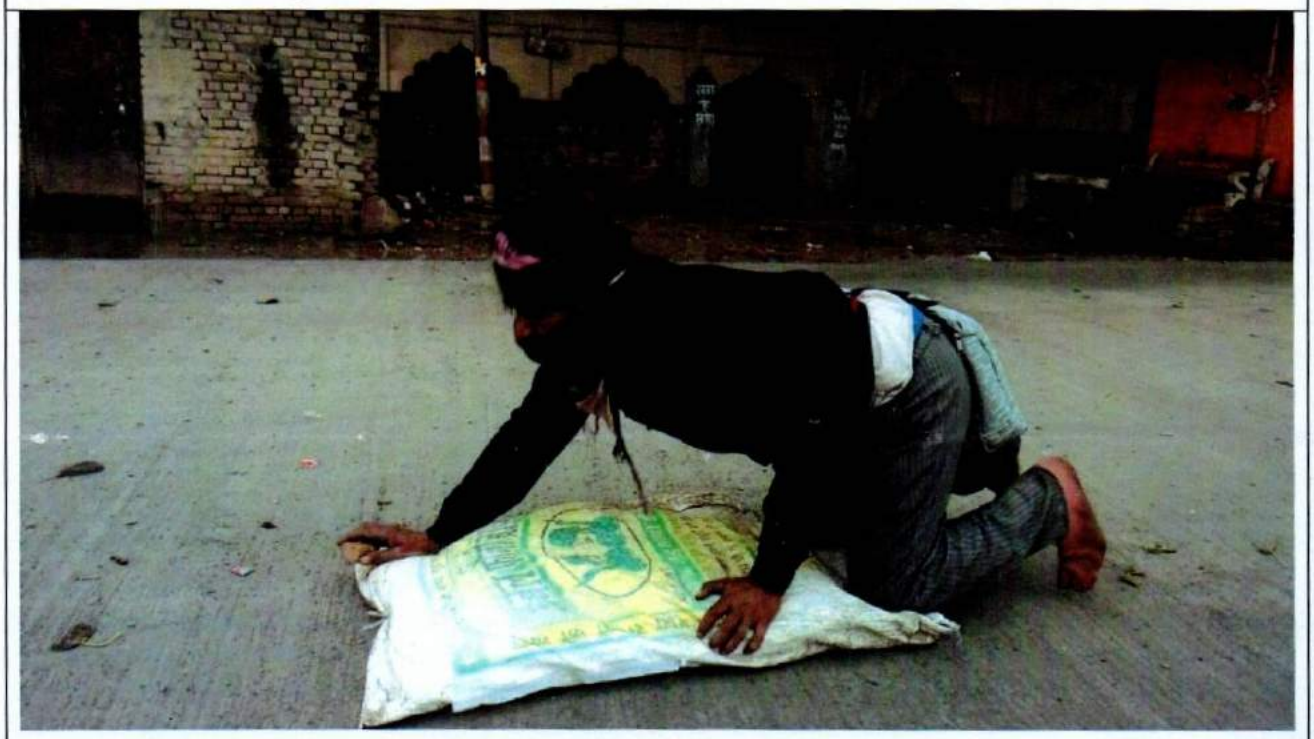

कार्य का नाम :– वृन्दावन परिक्रमा मार्ग में श्रंगारवट से भवराघाट तक से सम्बन्धित फोटोग्राफ।

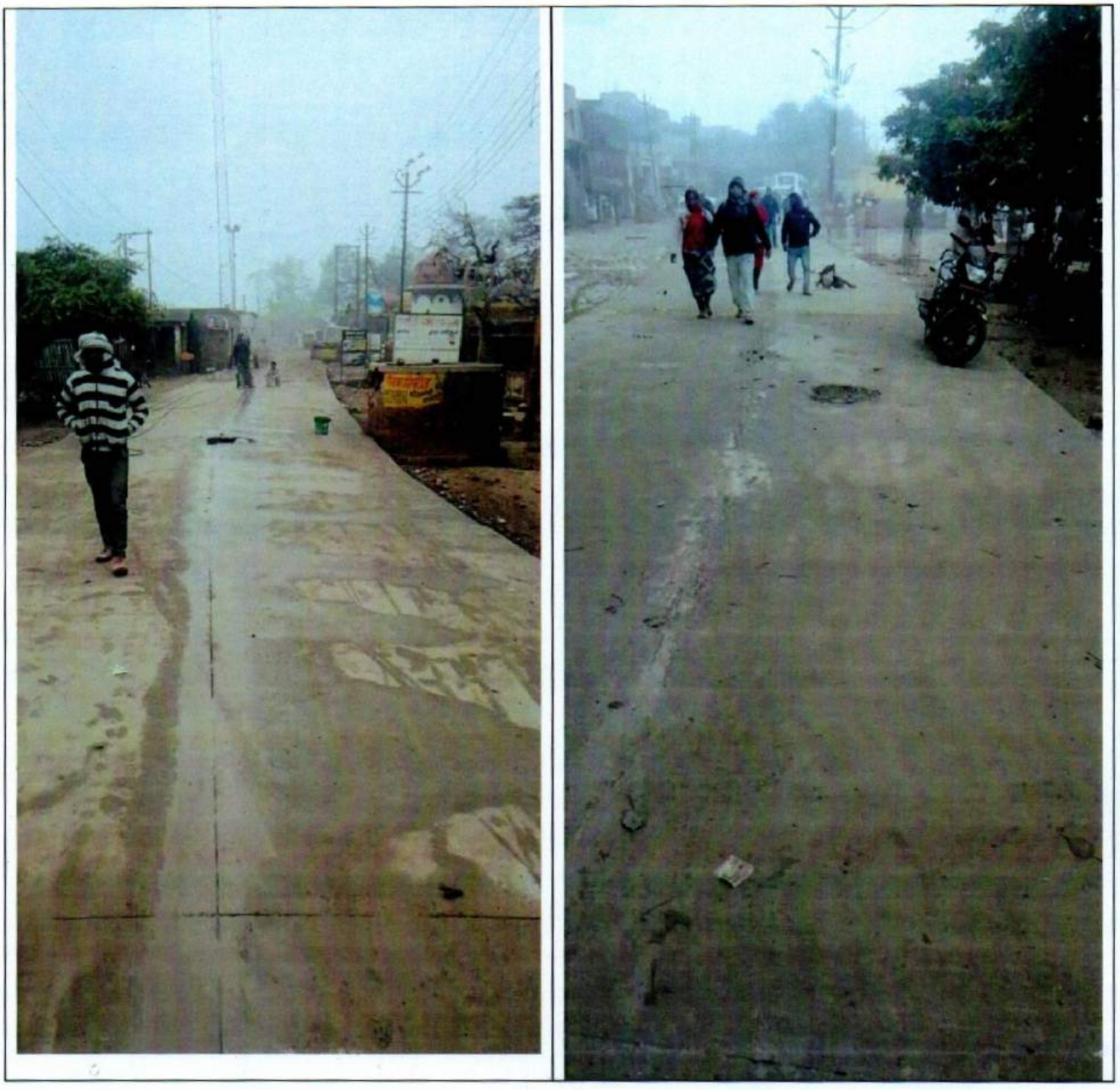

कार्य का नाम :– वृन्दावन परिक्रमा मार्ग में श्रंगारवट से भवराघाट तक से सम्बन्धित फोटोग्राफ।

कार्य का नाम :— वृन्दावन परिक्रमा मार्ग में श्रंगारवट से भवराघाट तक से सम्बन्धित फोटोग्राफ।

कार्य का नाम :– वृन्दावन परिक्रमा मार्ग में श्रंगारवट से भवराघाट तक से सम्बन्धित फोटोग्राफ।